रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 -14/91.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 11 मार्च, 1991/20 फाल्गुन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 2 फरवरी, 1991

संख्या एल0एल0आर0-बी0 (2) 2/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अभियोजन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश में सहायक लोक अभियोजक, वर्ग-3 (राजपत्रित) पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, अभियोजन विभाग, सहायक लोक अभियोजक वर्ग-3 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1991 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) इस सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एल0आर0बी0 (1) 3/74, तारीख 15 नवम्बर, 1974 द्वारा अधिसूचित तथा समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, सहायक लोक अभियोजक वर्ग-3 (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार के निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्यवाही इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

उपाबन्ध "क"

अभियोजन निदेशालय/विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश में सहायक लोक अभियोजक वर्ग-3 (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	सहायक लोक अभियोजक
2. पदों की संख्या	60 पद (57 पद अभियोजन में, 2 पद प्रवर्तन विभाग में व एक पद सतर्कता विभाग में) ।
3. वर्गीकरण	वर्ग-3 (राजपत्रित)
4. वेतनमान	रुपये 1800-40-2000-50-2400-60-2700-75-3000-100-3200.
5. चयन पद या अचयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	21 वर्ष से 35 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक्य हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्त यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु में उतना ही शिथिलिकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त तथा स्वायत्त निकायों के गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी कि सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमो/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमो/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

	टिप्पण 1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमन्त्रित करने के लिये यथास्थिति, पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं।
	टिप्पण 2.—अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यवसायिक डिग्री या इसके समतुल्य; और (ii) अधिवक्ता के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपर्युक्तता।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	सीधी भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	लागू नहीं।
	टिप्पण-2.—जब कभी नियम 2 के अनुसार पदों में बढ़ौतरी या कमी होती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जायेंगे।
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।	जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।
14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित अवश्य होना चाहिये :— (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बति शरणार्थी जो एक जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से बस क लिए आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्मा, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, युगाण्डा, यूनाईटिड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जेयर तथा यूथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथा-स्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा

1. सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा :—

(i) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए;

(ii) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी स्थायीकरण के लिए; और

(iii) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए :

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतया या अंशतः विभागीय परीक्षा पास की है, यथास्थिति, पूर्णतः या अंशतः परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए उन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उससे उन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिये इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी उससे 50 वर्ष की आयु के पश्चात् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

(i) अगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, और

(ii) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थाईकरण के लिए।

2. किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पास कर ली है।

3. सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट मन्जूर कर सकेगी, परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किन्हीं अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य नहीं हो।

18. प्राइवेट प्रैक्टिस का वर्जन

सेवा के किसी भी सदस्य को निजि व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा फिर भी, उन्हें विधि परामर्शी की विशेष अनुज्ञा से, अन्य राज्यों, भारत संघ और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वायत निकायों की ओर से मामलों का अभियोजन, अभिवचन और प्रतिवाद करने की अनुमति दी जा सकेगी और राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत निकायों से फीस प्रभारित की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत निकायों से उनकी ओर से सिविल मामलों के संचालन के लिए प्रभारित फीस का दो-तिहाई सम्बन्धित सहायक लोक अभियोजकों को संदत्त की जाएगी।

19. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, तो यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

आदेश द्वारा,
ए0 एल0 वैद्य,
सचिव।

[*Authoritative English text of notification No. LLR-B*(2)-2/87, *dated* 2-2-1991 *as required under clause* (3) *of Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 2nd February*, 1991

No. LLR-B(2)-2/87.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Public Prosecutor (Class-III, Gazetted) in the Directorate of Prosecution, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Prosecution Department, Assistant Public Prosecutor (Class-III, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1991.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Public Prosecutor (Class-III, Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh notified *vide* this Government notification No. LLR-B (1) 3/74, dated the 15th November, 1974 and as amended from time to time, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointments made or anything done or action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PUBLIC PROSECUTOR (CLASS-III, GAZETTED) IN THE DIRECTORATE OF PROSECUTION/ LAW DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Assistant Public Prosecutor
2.	Number of posts	60 (57 in Prosecution Department, 2 in Enforcement Department and 1 in Vigilance Department).
3.	Classification	Class-III (Gazetted)
4.	Scale of pay	Rs. 1800-40-2000-50-2400-60-2700-75-3000-100-3200.
5.	Whether selection post or non-selection post ?	Not applicable.
6.	Age for direct recruitment	Between 21 to 35 years : Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have appointed on *ad hoc* or contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled castes/scheduled tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of the public sector corporation and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in the public sector corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/ autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporation/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporation/autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

Note-1.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

Note-2.—Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.

Essential :

(1) Professional Degree in Law from a recognised University or its equivalent; and
(2) At least two years experience as an Advocate.

Desirable qualifications :

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.

Age : Not applicable.

9. Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	By direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	Not applicable.
	Note.—Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14. Essential requirements for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be: — (*a*) a citizen of India, or (*b*) a subject of Nepal, or (*c*) a subject of Bhutan, or (*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test, and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or a practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.
16. **Reservation**	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/scheduled tribes/ backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination	(1) Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible :—
	(*i*) Cross the efficiency bar next due,
	(*ii*) Confirmation in the service even after completion of probationary period, and
	(*iii*) Promotion to the next higher post:
	Provided that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination as the case may by:
	Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March, 1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules:
	Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under those rules after attaining the age of 50 years for the purposes of (*i*) crossing of efficiency bar next due and (*ii*) confirmation in the service after completion of probationary period.

(2) An officer on promotion to the higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be reduced to writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

18. Bar of private practice

No member of the service shall have right of private practice. They may, however be allowed with the special permission of the Legal Rememberancer to prosecute, plead or defend cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies of Himachal Pradesh Government and fee may be charged by the State Government from other States, Union of India and autonomous bodies. The 2/3rd of the said fees charged by the State Government for conducting civil cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies shall be paid to A. P. Ps. concerned.

19. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

By order,

A. L. VAIDYA,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।